न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी--दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 322 / 2025 | दायर दिनांक 03.06.2025 | निर्णय दिनांक 01-07-2025

उनवान

1. मांगी पत्नी गंगाराम गाडरी निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
2. माधु पुत्र श्री गंगाराम गाडरी निवासी छापरी तहसील व जिला भीलयाका (राज)
3. शंकर पुत्र गंगाराम गाडरी निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
4. शान्ती पुत्री श्री गंगाराम गाडरी निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्री लाल पुत्र श्री नन्दा जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
2. महेन्द्र दत्तक पुत्र श्री जगन्नाथ जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा
3. जगदीश पुत्र श्री काना जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा
4. जडाव पत्नी श्री काना जाट निवासी छापरी तहसील व किला भीलवाडा (राज0)।
5. बद्री पुत्र श्री काना जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
6. गोरा देवी पत्नी श्री जमना लाल जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा।
7. देबी लाल पुत्र श्री जमना लाल जाट निवासी– छापरी तहसील व जिला भीलवाडा।
8. नारायण पुत्र श्री जमना लाल जाट निवासी– छापरी तहसील व जिला भीलवाडा।
9. बद्री लाल पुत्र श्री हीरा लाल जाट निवासी– छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज)
10. रामलाल पुत्र श्री हीरा लाल जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
11. हरफुल पुत्र श्री हीरालाल जाट निवासी छापरी तहसील य जिला भीलवाडा (राज०)
12. काना पुत्र श्री लक्ष्मण जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
13. जगन्नाथ पुत्र श्री धुकल जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
14. देबी पुत्र श्री काशु जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
15. पन्ना पुत्र श्री रामसुख जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
16. फैफी पत्नी श्री रामसुख जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)।
17. मथुरा पुत्र श्री काशु जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज))
18. अमरचन्द पुत्र श्री रामा जाट निवासी– छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
19. देबी लाल पुत्र श्री तेजा जाट निवासी– छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
20. जमनी पत्नी श्री नन्दा जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा (राज०)

-- विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री अनील कुमार ओझा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 20 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छापरी पटवार हल्का पालडी भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला—भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1025 रकबा 0.5943 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 971 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 972 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 989 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 990 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 991 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 992 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 993 रकबा 0.3414 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 2.2381 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 20 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

[illegible] अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम छापरी पटवार हल्का पालडी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला-भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1025 रकबा 0.5943 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 971 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 972 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 989 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 990 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 991 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 992 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 993 रकबा 0.3414 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 2.2381 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा